संशोधन प्रक्रिया

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

लेखक- कुनैन शेरिफ एम (संपादक)

10 जनवरी, 2019

"सवर्णों को 10% आरक्षण देने के लिए लाये गये विधेयक पर शुरू हुई संशोधन प्रक्रिया के दौरान की गई बहस में कई तर्क देखने को मिले, जिसमें सहायता प्राप्त और बिना मान्यता प्राप्त संस्थानों से संबंधित प्रश्न और क्या राज्य विधानसभाओं द्वारा इस विधेयक का अनुमोदन किया जाना चाहिए, जैसे प्रश्न शामिल थे।"

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा में बहस के दौरान, कांग्रेस के नेता केवी थॉमस ने कहा कि, इस विधेयक को दो-तिहाई बहुमत से पारित करना होगा और इसके बाद इसे 50 प्रतिशत राज्यों का अनुमोदन भी प्राप्त करना होगा।"

बहस में हस्तक्षेप करते हुए, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 368 के भाग 3 में संशोधन करने के लिए, जो संविधान और प्रक्रिया को संशोधित करने के लिए संसद की शक्ति का वर्णन करता है, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, राज्य विधानसभाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि संविधान में अनुच्छेद 15 (5) को जोड़ने वाले संशोधन को केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया गया था।

पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि "संविधान (124 वां संशोधन) विधेयक, 2019 को आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता नहीं है। विधेयक एक बार लोकसभा और फिर राज्यसभा दोनों के माध्यम से पारित होगा जो कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार है।

अब हमें इसका जवाब जानना है कि संविधान संशोधन विधेयकों के पारित होने की प्रक्रियाएँ कैसे और क्यों बदलती हैं?

संविधान का संशोधन

संविधान का भाग 20 इसके संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 368 (2) के तहत, संसद उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन के दो-तिहाई से कम सदस्यों के बहुमत से और वर्तमान में मतदान करके प्रत्येक सदन में एक विधेयक पारित करके संविधान में संशोधन कर सकती है। इसके बाद, वह विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा जो अपनी सहमति देंगे..... और उसके बाद संविधान में संशोधन होगा।

हालाँकि, अगर संशोधन अनुच्छेद 54, 55, 73 सहित कुछ विशिष्ट प्रावधानों में बदलाव करना चाहता है, जैसे अनुच्छेद 54, 55, 73, भाग V का अध्याय IV भाग VI का अध्याय V, या भाग XI का अध्याय या सातवीं अनुसूची के किसी भी सूची में या संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में आदि, तो संशोधन को विधायिकाओं द्वारा भी अनुमोदन प्राप्त करना होगा जो राज्यों के आधे हिस्से से कम नहीं होनी चाहिए।

संसद 1973 के केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार उन प्रावधानों को संशोधित नहीं कर सकती है जो संविधान की मूल संरचना का निर्माण करते हैं।

मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत दो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जिन्हें विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। सभी प्रावधानों को राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती और जो सीधे अनुच्छेद-368 के दायरे में आते हैं, उन्हें विशेष बहुमत से संशोधित करना होता है।

अनुच्छेद 4,169 और 239-ए और पांचवें और छठे अनुसूचियों के पैरा 7 और 21, अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर रखा गया है। विधेयक को एक साधारण विधेयक के पारित होने के लिए आवश्यक बहुमत से पारित किया जाता है।

संविधान में निहित संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधान केवल विशेष बहुमत से और राज्यों की सहमति से संशोधित किए जा सकते हैं। राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण प्रावधानों में राष्ट्रपति का चुनाव; सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय; संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व; संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण; तथा संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति की सीमा शामिल है।

सबसे महत्वपूर्ण बात, अनुच्छेद 368 में किसी भी संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता है।

संविधान का अनुच्छेद 15 (5)

अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 (1) और (2) का मोटे तौर पर कहना हैं कि राज्य केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है; और वह किसी भी व्यक्ति पर सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचने और उसका उपयोग करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है जो राज्य द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से बनाया गया हो या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित हो।

अनुच्छेद 15 (3) के बाद, संविधान सुरक्षात्मक भेदभाव से संबंधित प्रावधानों की पैरवी करता है, अर्थात ऐसी नीति जो वंचित वर्गों को विशेषाधिकार प्रदान करती हो। लेख 15 (3) और 15 (4) देश में शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की नींव हैं। अनुच्छेद 15 (3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान का निर्माण करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 (4) राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े और एससी/एसटी की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान का निर्माण करने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद 15 (5) को संविधान (निन्यानबेवें संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा पेश किया गया था। यह एक सक्षम क्लॉज है जो राज्य को एक विशेष विषय के संबंध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षिणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की उन्नति के लिए इस तरह के प्रावधान का निर्माण करने का अधिकार देता है, अर्थात निजी शिक्षण संस्थानों सहित शैक्षिणिक संस्थानों में प्रवेश, चाहे अनुच्छेद 19(1)(जी) के प्रावधानों के बावजूद राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या ना हो।

संविधान में संशोधन के बाद, संसद ने केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम पारित किया था। हांलाकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं हैं।

93वां संशोधन

इस संशोधन में दो प्रमुख मुद्दों पर चुनौती दी गई थी: क्या इसने मूल संरचना का उल्लंघन किया था, और क्या अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) परस्पर विरोधाभासी थे - और इसलिए, अनुच्छेद 15 (5) संविधान का अधिकारातीत था।

मार्च, 2008 में, तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आईआईटी, आईआईएम और अन्य केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले कानून को बरकरार रखा, लेकिन ये जरूर कहा कि यह क्रीमी लेयर पर लागू नहीं होगा।

अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ मामले में अदालत ने कहा कि क्रीमी लेयर को सामाजिक और शैक्षिणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) से बाहर रखा जाना चाहिए और केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के तहत आरक्षण की निरंतरता को पांच साल बाद समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। बेंच ने संविधान (93वें संशोधन) अधिनियम, 2005 की वैधता को बरकरार रखा, केंद्र को उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण के लिए विशेष कानून प्रस्तुत करने का अधिकार दिया। यह भी माना गया है कि संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है, जहां तक यह राज्य के रखरखाव वाले संस्थानों और सहायता प्राप्त शैक्षिणिक संस्थानों से संबंधित है। इसने इस धारणा को खारिज कर दिया कि अनुच्छेद 15 (5), अनुच्छेद 15 (4) के विरोधाभासी था और अनुच्छेद 15 (5) के दायरे से अल्पसंख्यक शैक्षिणिक संस्थानों के बहिष्कार को बरकरार रखा।

GS World टीम...

आरक्षण

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केंद्र सरकार ने 07 जनवरी, 2019 को महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों (सामान्य वर्ग) के लिए सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है।
- केंद्र सरकार इसके लिए जल्द ही लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी।

संविधान में होगा संशोधन

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस संबंध में संवैधानिक संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- सरकार इस संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक-2018 (कांस्टीट्यूशन एमेंडमेंट बिल टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन -2018) लोकसभा में लेकर आएगी। इस विधेयक के जरिए संविधान की धारा 15 व 16 में संशोधन किया जाएगा।
- सवर्णों को दिया जाने वाला आरक्षण मौजूदा 50 फीसदी आरक्षण से अलग होगा।

आरक्षण की पात्रता के लोग सामान्य श्रेणी के वे लोग होंगे -

- जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपये से कम हो
- जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम की खेती की जमीन हो
- जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो
- जिनके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो
- जिनके पास 209 गज से कम की निगम की गैर-अधिसूचित जमीन हो
- जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते थे

अनुच्छेद 15 के प्रावधान

- अनुच्छेद 15 समस्त नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 (1) के अनुसार राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ही अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) में सामाजिक और शैक्षिणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है। यहां कहीं भी आर्थिक शब्द का प्रयोग नहीं है।
- ऐसे में सवर्णों को आरक्षण देने के लिए सरकार को इस अनुच्छेद में आर्थिक रूप से कमजोर शब्द जोड़ने की जरूरत पड़ेगी।

अनुच्छेद-16 के प्रावधान

- अनुच्छेद-16 सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है और राज्य को किसी के भी खिलाफ

केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है।

- किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों का सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उनके लाभार्थ सकारात्मक कार्रवाई के उपायों के कार्यान्वयन हेतु अपवाद बनाए जाते हैं, साथ ही किसी धार्मिक संस्थान के एक पद को उस धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित किया जाता है।

भारत में आरक्षण का उद्देश्य और वर्तमान स्थिति

- आरक्षण की व्यवस्था केंद्र और राज्य में सरकारी नौकरियों, कल्याणकारी योजनाओं, चुनाव और शिक्षा के क्षेत्र में हर वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई ताकि समाज के हर वर्ग को आगे आने का मौका मिले।
- इसके लिए पिछड़े वर्गों को तीन श्रेणियों – अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में बांटा गया।
- इस समय भारत में कुल 49.5% आरक्षण दिया जा रहा है जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:
- अनुसूचित जाति (SC):15%
- अनुसूचित जनजाति (ST): 7.5%
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 27%
- कुल आरक्षण: 49.5 %

किन्हें मिलेगा फायदा?

- केंद्र सरकार द्वारा सवर्णों को दिए जाने वाले 10% आरक्षण का लाभ केवल हिन्दू सवर्णों को ही नहीं मिलेगा अपितु सभी धर्मों अथवा सम्प्रदायों के सामान्य वर्ग के उन लोगों को मिलेगा जो इस श्रेणी की पात्रता शर्तों का मानदंड रखते हों।
- यह आरक्षण धर्म, जाति, रंग अथवा किसी अन्य प्रकार के भेदभाव के आधार पर नहीं दिया गया है।

इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 मामला

- इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम केंद्र सरकार (यूनियन ऑफ इंडिया) में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अलग से आरक्षण लागू करने को सही ठहराया था।
- वर्ष 1992 में पहली बार इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण सही नहीं है।
- संसद ने इस पर विचार किया और 77वां संविधान संशोधन लाया गया। इस संशोधन में कहा गया कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को यह अधिकार है कि वह पदोन्नति में भी आरक्षण दे सकती है। यह मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां से फैसला आया कि आरक्षण दिया जा सकता है लेकिन वरिष्ठता नहीं मिलेगी।
- इसके उपरांत 85वां संविधान संशोधन उसी संसद से पास हुआ और यह कहा गया कि कॉनसीक्वैंशियल सीनियॉरिटी भी दी जायेगी।
- इन्दिरा साहनी प्रकरण में उच्चतम न्यायालय की जजों वाली संविधानिक पीठ ने दिनांक 16.11.1992 को संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राजकीय सेंवाओं में पदोन्नति में आरक्षण को सही नहीं माना तथा यह आदेश दिया कि इन वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण केवल अगले 5 वर्ष तक ही यथावत रखा जाएगा।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित में से किन संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है?

1. राष्ट्रपति के चुनाव में
2. संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति
3. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय
4. संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण

dIV%

(a) 1 और 2 (b) 2, 3 और 4
(c) 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

1. In which of the following constitutional provisions the ratification of the states are required for its amendment?

1. The election of the President.
2. Executive power of the union and states.
3. Supreme Court and High Court.
4. Distribution of legislative power between center and the states.

Code:

(a) 1 and 2 (b) 2, 3 and 4
(c) 2 and 3 (d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: संविधान में निहित आरक्षण संबंधित प्रावधानों की चर्चा कीजिए। क्या हाल ही में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को दिये गये आरक्षण से संबंधित बनाये गये नियम इन प्रावधानों के अनुरूप है? इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये मतों की विवेचना कीजिए। (250 शब्द)

Q. Discuss the provisions related to the reservations inherent in the constitution. Are the provisions made for the reservations of economically weaker general category are accordant with the rules provided in the constitution? Analyse the views of the Supreme Court in this context. (250 Words)

नोट : 09 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a), 2(a) होगा।